पाठ 20

केन्द्रीय स्तर पर शासन

हमारा देश एक प्रजातान्त्रिक गणतंत्र है, जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता है | भारत में संसदीय शासन प्रणाली है | राष्ट्रपति सांविधानिक प्रधान या नाम मात्र का शासनाध्यक्ष होता है | संविधान में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की योग्यताएँ-

वह भारत का नागरिक हो |

वह कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो |

संसद सदस्य की योग्यता रखता हो |

वह केंद्र व राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो |

राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता नहीं बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है | निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभा के सदस्य तथा केन्द्रशासित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं | राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है | असंविधानिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष पद्धति से हटाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं | राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख (5,00,000) रूपए प्रतिमाह होता है |

राष्ट्रपति की शक्तियाँ - राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है यह हमारे देश का सर्वोच्च पद है | भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं | भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां हैं |

कार्यपालिका शक्तियाँ, - राष्ट्रपति संघ का प्रधान कार्यकारी पदाधिकारी होता है |राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उसकी अनुशंसा (सिफारिश) पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है | साथ में महान्यायवादी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, राजदूत व राज्यपाल व सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है | तीनों सेनाओं का प्रधान कमांड राष्ट्रपति करता है | राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग, विधायी शक्तियों का स्वामी होता है | भारतीय संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करता है | संसद सत्र को बुलाना एवं समापन की घोषणा करता है | राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है |

विधायी शक्तियाँ - संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक की उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएँ | अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है |

न्यायिक शक्तियां - राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ़ एवं मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार होता है |

आपातकालीन शक्तियाँ - राष्ट्रपति के पास सामान्य शक्तियों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग वह असामान्य स्थिति में करता है | इन्हें आपातकालीन शक्तियां कहा जाता हैं जो इस प्रकार हैं |

1 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह : अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा अथवा भारत के किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा है तो वह 'आपातकाल की घोषणा' कर सकता है |

2 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता : अनुच्छेद 356 के तहत इसकी घोषणा उस समय की जा सकती है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो | यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट हो अथवा संतुष्ट हो की राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है |

3 वित्तीय संकट : तीसरे प्रकार के आपातकाल को वित्तीय संकट कहते हैं और इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा हो |

राष्ट्रपति की स्थिति : संविधान कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है | उसके पास आपातकाल सम्बन्धी शक्तियां भी व्यापक है क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्व शक्ति संपन्न है ? नहीं | वास्तव में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी देश का संवैधानिक अध्यक्ष है | निसंदेह सरकार उसके नाम से चलती है लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से करना होता है | अत: राष्ट्रपति की तुलना एक रबर की मोहर से की जाती है |

प्रधानमंत्री : भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति को केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना होता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता हो | प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत का नेता होने साथ साथ उसे संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य है | यदि वह अपनी नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे अपने प्रधानमंत्री नियुक्त होने की तिथि से छ: मास के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होती है|

प्रधानमंत्री बनने हेतु जरुरी योग्यताएँ -

वह भारत का नागरिक हो |

उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष हो |

वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो |

न्यायालय द्वारा उसे पागल व दिवालिया घोषित न किया हो |

प्रधानमंत्री के कार्य : प्रधानमंत्री संघीय सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है | प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उनमें विभाग बाटंता है | वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है | प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है | वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने व फिर से चुनाव करवाने की सिफ़ारिश कर सकता है | प्रधानमंत्री योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है | वह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व करता है |

संघीय मंत्रिपरिषद : मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है | मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के तीन वर्ग है - 1 कैबिनेट मंत्री 2 राज्य मंत्री 3 उप मंत्री | ये मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम की तरह काम करते हैं | मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं लेकिन उन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है | मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं | यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है | मंत्रिपरिषद में अविश्वास दर्शाने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा लाए गए विधायी प्रस्ताव को 'अविश्वास प्रस्ताव' कहा जाता है | इसलिए कहा जाता हैं कि मंत्री साथ तैरते और साथ डूबते हैं |

प्रधानमंत्री की स्थिति : संघीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण है | वह संसद में सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक होता है | मंत्रिपरिषद उसकी टीम की तरह कार्य करती है | पूरा राष्ट्र आवश्यक नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यवायी के लिए उसकी ओर देखता है | सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते और दूसरे देशों के साथ संधियाँ प्रधानमंत्री की सहमति से होती हैं | सरकार और संसद में उसकी विशेष हैसियत होती है |

भारतीय संसद : संघीय सरकार की विधायी शाखा को संसद कहते है | जिसमें राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा शामिल होते हैं |

लोकसभा :

लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते है | लोक सभा के सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं | इसके सदस्यों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती | इनमें से 530 को सीधे भारत के विभिन्न राज्यों के लोग चुनते है और शेष 20 सदस्य केन्द्रशासित क्षेत्रों से चुने जाते है लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 हैं | इस सदन में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को नामांकित करता है | लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है | लेकिन राष्ट्रपति इसको पहले भी भंग कर सकता है | आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है |

लोकसभा के सदस्य/ सांसद बनने हेतु जरुरी योग्यताएं -

वह भारत का नागरिक हो |

उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष हो |

वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो |

न्यायालय द्वारा उसे पागल व दिवालिया घोषित न किया हो |

राज्यसभा : राज्यसभा संसद का उच्च सदन है | इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती | इनमें से 238 राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों से होते है तथा शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं | इन सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है | राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता | राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन

6 वर्ष के लिए किया जाता है | लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत कुल सदस्यों का एक तिहाई प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं |

राज्यसभा के सदस्य/ सांसद बनने हेतु जरुरी योग्यताएं :

वह भारत का नागरिक हो |

उसकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष हो |

वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो |

न्यायालय द्वारा उसे पागल व दिवालिया घोषित न किया हो |

पीठासीन पदाधिकारी : लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है | लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं | वह निचले सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाएँ रखता है तथा कार्यवायी का निरीक्षण करता है | अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौनसा विधेयक साधारण अथवा धन विधेयक है और उसका निर्णय अंतिम होता है | लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है | राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो की पदेन सभापति होता है | यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है | उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते है |

संसद के कार्य : संसद विधायी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है | इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित है -

विधायी कार्य : संसद कानून बनाने वाली संस्था है | यह संविधान में उल्लिखित संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर बनाती है | यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा | इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं है तो उस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है |

कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य : संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकट सम्बन्ध होता है | वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है | 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा |

वित्तीय कार्य : भारत की संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौपा गया है | यह संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियंत्रण रखती है, प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए समय - समय पर सरकार के लिए धन राशि स्वीकृत करती है | संसद सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों को पारित, कम अथवा अस्वीकार कर सकती है | संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही कोई खर्च किया जा सकता है |

न्यायिक कार्य : संसद कानून बना कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखतीं है | यह दो अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार रखती है और किसी

केन्द्रशासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है | सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हटा सकता है |

विविध कार्य : संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं |

संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति :

लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तथा दूसरी ओर राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है|

लोकसभा का निर्वाचन पांच वर्ष के लिए होता है लेकिन राज्यसभा एक स्थाई सदन है |

साधारण विधेयक के सम्बन्ध में दोनों के पास बराबर शक्ति है | लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है |

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के मामले में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है | जबकि राज्यसभा सरकार की नीतियों कार्यक्रमों पर चर्चा करती है यह सरकार की आलोचना से ही कुछ नियंत्रण रखती है |

संविधान संशोधन, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने अथवा हटाने के मामले में लोकसभा तथा राज्यसभा को एक से ही अधिकार प्राप्त हैं |

वितीय मामलों में जहाँ लोकसभा का पलड़ा भारी होता है वहीं केवल राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है |

संघीय सरकार का नागरिकों तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव : संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती हैं तथा लागू करती है जिनका हमारे जीवन की गुणवता पर प्रभाव पड़ता है | संघीय सरकार के कुछ कार्यक्रम जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम व इंदिरा आवास योजना इत्यादि|

सर्वोच्च न्यायालय :-सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है | लेकिन न्यायालय की संरचना और कार्यपालिका अन्य दोनों शाखाओं से बिल्कुल अलग है | संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते है जिसकी संख्या समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है | वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मे एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है |

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न योग्यताओं का होना जरुरी है :-

वह भारत का नागरिक हो |

वह उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उनसे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम पाँच वर्ष तक निरंतर न्यायाधीश रहा हो |

किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या उससे अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो |

राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् हो |

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते है | परन्तु उनको कदाचार और असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है | इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते है |

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार :-सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार है |

1. मूल क्षेत्राधिकार :- कुछ मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय केवल सीधे ही सुनने का अधिकार रखता है |

संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद के मामले |

दो या दो राज्यों के बीच विवाद |

एक तरफ संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद |

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार :-किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते है | सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों की अपील सुनने वाला न्यायालय है | यह उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है | इसके पास अपने ही निर्णय पर पुनरावलोकन करने का अधिकार है | यह अपनी स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है |

3. मंत्रणा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार :- सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर परामर्श देने की अधिकारिता है | यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसा लगे कि कानून अथवा तथ्य सम्बन्धी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठेगा जो जन साधारण के लिए महत्वपूर्ण है तथा उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है तो वह उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है |

सर्वोच्च न्यायालय के कुछ विशेष कार्य :-

संविधान का संरक्षण |

न्यायिक पुनरवलोकन |

न्यायिक सक्रियता :- प्रायः न्यायपालिका द्वारा विधायी शक्तियों को हथियाने की की कोशिश के रूप में इसकी आलोचना की जाती है | लेकिन भारत में इसको लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह वंचित लोगों तक न्याय को देने पर केन्द्रित रहा है | यह जनहित याचिका का प्रयोग करता है|